FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0313   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 28/12/2024 18:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 26/12/2024   Date To (दिनांक तक): 27/12/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:15 बजे   Time To (समय तक): 14:15 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/12/2024   Time (समय): 14:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 28/12/2024 18:07:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 03 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): JILA ROJGAR KARYALAY, JILA DHOLPUR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEVENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** VIJENDRA SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM JOGIYAPURA, BADI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM JOGIYAPURA, BADI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEEPAK GOYAL		पिता:JAGDEESH GOYAL	1. SIKARAY BAS STAND DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		700.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 700.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर राज., विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने के संबंध में, महोदय,सविनय निवेदन है कि मैं देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह निवासी कस्बा नगर जोगियापुरा तहसील बाडी, धौलपुर राज. मेरा मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना 2021 में पंजीयन संख्या 23052283980 के तहत राजस्थान कौशल आजीविका निगम से कौशल प्रशिक्षण एवं 04 घंटे की इंटर्नशिप के लिए तहसील ऑफिस राजस्व विभाग बाडी स्वीकृत हुआ था जो मेरे निज निवास जोगियापुरा से 36 कि.मी. दूरी पर है निज निवास से आने-जाने के लिए कोई निजी साधन व न ही कोई सार्वजनिक साधन है मै इंटर्नशिप के लिए स्थानान्तरण करवाने के लिए रोजगार कार्यालय संतर रोड धौलपुर गया जहां कार्यालय में पदस्थापित दीपक बाबूजी ने इंटर्नशिप स्थानान्तरण की एवज में 1500/- रूपये रिश्वत के रूप में मांगे मैं अपने वाजिब काम के लिए कोई रिश्वत राशि न देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी दीपक बाबूजी से किसी भी प्रकार की रंजिश नही है न ही मेरा उनसे कोई रूपये -पैसो का लेन-देन नही है श्रीमान जी से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी एसडी देवेन्द्र सिह पुत्र श्री विजेन्द्र सिह जाति प्रजापति (कुम्हार) निवासी जोगियापुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर मो.नं. [redacted] एसडी सुरेन्द्र सिह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 27.12.2024 एसडी सुरेन्द्र सिंह दिनांक 27.12.2024 एसडी सिकन्दर खान दिनांक 27.12.2024 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 26.12.2024 को वक्त 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिह पुत्र श्री विजेन्द्र सिह जाति प्रजापित निवासी जोगियापुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर उपस्थित कार्यालय आया एवं एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई श्रीकान्त हैड कानि. 72 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर को पेश की लिखित रिपोर्ट की सूचना मन् सुरेन्द्र सिह उप अधीक्षक पुलिस को दी जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो लिखित रिपोर्ट स्वंय द्वारा लिखना रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताते हुए रिपोर्ट की ताईद की एवं बताया कि मेरा मुख्य मंत्री युवा संबल योजना 2021 में पंजीयन संख्या 23052283980 के तहत राजस्थान कौशल आजीविका निगम से कौशल प्रशिक्षण एवं 04 घण्टे की इन्टर्नशिप के लिये तहसील ऑफिस राजस्व विभाग बाडी स्वीकृत हुआ था जो मेरे निज निवास जोगियापुरा से 36 कि.मी. की दूरी पर हैं निज निवास से आने-जाने के लिये कोई निजी साधन व न ही कोई सार्वजनिक साधन हैं मैं इन्टर्नशिप के लिये स्थान बदलवाने के लिये रोजगार कार्यालय संतर रोड धौलपुर गया जहां कार्यालय में पदस्थापित दीपक बाबूजी ने इन्टर्नशिप का स्थान बदलने की एवज में 1500/- रूपये रिश्वत के रूप में मांगे मैने मेरा इन्टर्नशिप स्थान बदलने के लिये प्रार्थना-पत्र दीपक बाबूजी को ही दे दिया है। मैं अपने वाजिव काम के लिये कोई रिश्वत राशि न देकर दीपक बाबूजी को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी दीपक बाबूजी से किसी भी प्रकार की रंजिश नही हैं। ना ही मेरा उनसे कोई रूपये पैसों का लेन-देन नही हैं। लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाये जाने पर जिसका विभागीय नियुमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आज ही अनावश्यक विलम्ब के सत्यापन करवाया जाना उचित है। रिश्वत मांग सत्यापन की स्थिति से मन् उप अधीक्षक पुलिस को हालात अर्ज किये गये। इसके बाद समय 2.30 पी.एम. पर गवाह श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्रीकान्त हैड कानि. 72 ने परिवादी से रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हेतु विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर कार्यालय आलमारी से निकालकर मय खाली मैमोरी कार्ड सहित विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू एवं बन्द करने की विधि परिवादी को समझाकर कर श्री योगेश सिह कानि. 88 को सुपुर्द कर हिदायत दी की। उक्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द कर बाद रिश्वत मांग सत्यापन विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय में लाकर पेश करने की हिदायत की गई। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुचारू रूप से सही कार्य कर रहा है डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉडिंग नही है। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पी.एम. पर गवाह श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के समक्ष परिवादी श्री देवेन्द्र सिह की मौजूदगी में श्री योगेश सिंह कानि. 88 ने

जरिये फर्द सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मांगने पर अपने पास से निकालकर मुख्य आरक्षक श्रीकान्त को पेश किया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर सुना गया जिसमें रिश्वत मांग की वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया अतः विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को बन्द किया जाकर उसी हालत में कार्यालय के मालखाना में बिना छेड-छाड के सुरक्षित हालत में रखा गया। मन् सुरेन्द्र सिह उप अधीक्षक पुलिस जो विभागीय कार्य से बाहर होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस वापसी आने पर विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को पेश किया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी श्री देवेन्द्र सिह को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 27.12.2024/10.00 ए.एम.- इस समय परिवादी श्री देवेन्द्र सिह उपस्थित कार्यालय हुआ, परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में ही बिठाया गया। इसके बाद समय 11.00 ए.एम पर मन पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह उपस्थित एसीबी कार्यालय धौलपुर आने पर श्रीकान्त हैड कानि. 72 द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र सिह की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेश कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को हमराह परिवादी देवेन्द्र सिहं के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये गये। जिस पर मैने परिवादी श्री देवेन्द्र सिह की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह ने पूर्व में दर्ज कराये गये हालातो की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी मुख्य मंत्री युवा संबंल योजना 2021 में पंजीयन संख्या 23052283980 के तहत राजस्थान कौशल आजीविका निगम से कौशल प्रशिक्षण एवं 04 घण्टे की इन्टर्नशिप के लिये तहसील ऑफिस राजस्व विभाग बाडी स्वीकृत हुआ था जो मेरे निज निवास जोगियापुरा से 36 कि.मी. की दूरी पर हैं निज निवास से आने-जाने के लिये कोई निजी साधन व न ही कोई सार्वजनिक साधन हैं मैं इन्टर्नशिप के लिये स्थान बदलवाने के लिये जिला रोजगार कार्यालय संतर रोड धौलपुर गया जहां कार्यालय में पदस्थापित दीपक बाबूजी ने इन्टर्नशिप स्थानान्तरण की एवज में 1500/-रूपये रिश्वत के रूप में मांगे। मैं अपने वाजिव काम के लिये कोई रिश्वत राशि न देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी दीपक बाबूजी से किसी भी प्रकार की रंजिश नही हैं। ना ही मेरा उनसे कोई रूपये पैसों का लेन-देन नही हैं। श्री दीपक बाबूजी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाने के लिए मैने आपके अधीनस्थ कार्यरत श्रीकान्त हैड कानि. 72 को कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर शिकायत दी थी व जिस पर मुझे एसीबी धौलपुर के श्री योगेश कानि. 88 के साथ आरोपी श्री दीपक बाबूजी रोजगार कार्यालय धौलपुर के पास भेजकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया था। मेरी बात आरोपी श्री दीपक बाबूजी रोजगार कार्यालय धौलपुर से हो गई है मेरे द्वारा निवेदन किये जाने पर आरोपी दीपक बाबूजी 700/- रूपये मेरा इंटर्नशिप का स्थानान्तरण करने की एवज में 700/- रूपये की रिश्वत लेने पर सहमत हो गया है । इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर से लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई व वार्ता में परिवादी के कथनो की पुष्टि होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार गई। तत्पश्चात् समय-11.20 ए.एम. पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को 700 रूपये रिश्वत मांग सत्यापन से स्पष्ट है जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री देवेन्द्र सिह से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 700/- रूपये के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि 700/- रूपये मेरे पास अभी उपलब्ध हैं। इसके बाद समय 11.25 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मनोज कुमार कानि. 179 को स्वतन्त्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर रवाना किया गया । इसके बाद समय 11.40 ए.एम पर श्री मनोज कुमार कानि. उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर पहुंचा जहां स्वतंत्र गवाहान को मुताबिक निर्देशानुसार हमराह साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया। तत्पश्चात् समय-11.45 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय हैं जिनको मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री सुरेन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द जाति कुशवाह उम्र 38 साल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर मो.[redacted]एवं श्री सिकन्दर खान पुत्र श्री विपती खान जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी धोवीपाडा मोहल्ला बसेडी पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर मो[redacted]होना बताया जिनको कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी देवेन्द्र सिंह से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही टे्प कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से टे्प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक एवं लिखित स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 11.55 ए.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह व आरोपी श्री दीपक बाबूजी जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता की हैश वैल्यू MDS FILE से निकाली जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 12.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप

कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु कपडे की थैली में शील मोहर कर मार्क M व दो डीबीडीयां क्रमशः- एक मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डीबीडीं को अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर उस पर मार्क A अंकित किया श्रीकान्त हैड कानि. 72 मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना किये जाने हेतु हिदायत की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री दीपक बाबूजी रोजगार कार्यालय धौलपुर के द्वारा इंटर्नशिप का स्थानान्तरण करने की एवज में 1500/- रूपये की मांग करना एवं परिवादी के द्वारा निवेदन करने पर 700/- रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ((यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 12.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह जाति प्रजापति उम्र 23 साल निवासी जोगियापुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से दो-दो सौ के तीन नोट व एक नोट सौ रूपये का कुल 4 नोट 700/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- क्र.सं. नोट का प्रकार नोटों के नम्बर 1. एक नोट दो सौ रूपये का 2BK 449163 2. एक नोट दो सौ रूपये का 2CT 730320 3. एक नोट दो सौ रूपये का 5BR 346180 4. एक नोट सौ रूपये का 7WS 632588 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि.72 प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि.179 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 700/- रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि0 179 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. 179 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीकान्त हैड कानि. 72 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री मनोज कुमार कानि. 179 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 01.50 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री देवेन्द्र सिह व श्री योगेश सिंह कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449, को श्री योगेश सिह कानि. 88 की निजी मोटरसाईकिल से जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर वास्ते टे्प कार्यवाही रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्रीकान्त हैड कानि. 72, व श्री सुरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक को श्रीकान्त हैड कानि. 72 की निजी मोटरसाइकिल एवं श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि.71, स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खान

कनिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाह सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक की निजी मोटर साईकिल से जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर वास्ते टे्प कार्यवाही रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय चालक मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 02.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री योगेश सिह कानि. 88 व इनके पीछे पीछे श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि. 71 को रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे्प पार्टी सदस्यों के जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर के मुख्य गेट के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार किया। तत्पश्चात् समय 02.15 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री देवेन्द्र सिह के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के जिला रोजागर कार्यालय संतर रोड धौलपुर पर पहुंचा जहां परिवादी देवेन्द्र सिह उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री देवेन्द्र सिह ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही दीपक बाबूजी है जिन्होने मेरे से रिश्वत के 700/- रूपये लेकर अपने पहने हुये पेन्ट की पीछे की बायी तरफ की जेब में रख लिये हैं। इस पर पास खडे व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपक गोयल पुत्र श्री जगदीश गोयल उम्र 27 साल निवासी सिकराय बस स्टैण्ड दौसा पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा हाल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर होना बताया जिसे डिटेन किया जाकर यथास्थिति में रहने की हिदायत कर परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 700/--रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो उक्त दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक अपने दोनो हाथों को आपस में रगडने लगा इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक का बायां हाथ स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक एवं दाहिना हाथ श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 कलाईयों के ऊपर से पकड लिये। परिवादी श्री देवेन्द्र सिह से रिश्वत राशि 700/- रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक ने बताया कि मैं पिछले करीब साढे तीन साल से जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हूं कल दिनाक 26.12.2024 को श्री देवेन्द्र सिह मेरे पास आया था जिसने मुझे बताया था कि मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना के तहत ईन्टर्नशिप मिली है जिसमें उसने अपनी ईन्टर्नशिप स्थान तहसील बाडी से कस्बा नगर स्कूल में किये जाने हेतु बताया था जिस पर मैने उसको प्रार्थना-पत्र देने के लिए कहा था व मैने उससे 700/- रूपये रिश्वत के तौर पर मांग लिये थे श्री देवेन्द्र सिह मुझसे कल आने की कहकर चला गया था। आज दिनांक 27.12.2024 को श्री देवेन्द्र सिह मेरे पास अपने कार्य के लिए आया था, जिस पर मैने उससे प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर रिश्वत राशि 700/- - रूपये भी प्राप्त की जाकर मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बायी तरफ की जेब में रख ली थी व मैने उसी समय श्री देवेन्द्र सिह का ईन्टर्नशिप स्थान बदलकर उसको पत्र दिया था उसी समय आप लोग आ गये। परिवादी से भी इस संबंध में पूछा गया तो आरोपी द्वारा बताई गई बातों को ही बताया तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स मे से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर में रखे हुये जग में से पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशीयों में भरवाकर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रिश्वत राशि 700/--रूपये मैने श्री देवेन्द्र सिह से प्राप्त की जाकर मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बायी तरफ की जेब में रख लिये थे उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक से निकलवाया गया तो नोटों का विवरण निम्न प्रकार है- क्र.सं. नोट का प्रकार नोटों के नम्बर 1. एक नोट दो सौ रूपये का 2BK 449163 2. एक नोट दो सौ रूपये का 2CT 730320 3. एक नोट दो सौ रूपये का 5BR 346180 4. एक नोट सौ रूपये का 7WS 632588 उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक द्वारा पहनी हुई जीन्स की

पेन्ट जिसकी बायी साईड की पीछे की जेब से रिश्वत राशि रखी गई थी। अतः उक्त पेन्ट को उतरवाकर आरोपी दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक को उसके बैंग मे से लोअर पेन्ट लिया जाकर पहनवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे से डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पानी का रंग रंगहीन रहा उक्त पेन्ट की बायी साईड की पीछे की जेब को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीषियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन्ट हल्का काला जीन्स का है जिस पर TOM BRONE लिखा हुआ है जीन्स पेन्ट को सुखवाकर बायी तरफ की पीछे की जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क P अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। टेªप कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। आरोपी दीपक गोयल पुत्र श्री जगदीश गोयल जाति वैश्य उम्र 27 साल निवासी सिकराय बस स्टैण्ड दौसा पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा हाल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र सिह को मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना 2021 के तहत जारी हुई इन्टर्नशिप में स्थान परिवर्तन किये जाने की एवज मे रिश्वत राशि 1500/- -रूपये की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 700/- -रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 27.12.2024 को 700/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आरोपी दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 04.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री देवेन्द्र सिह से संबंधित पेडिंग कार्य का प्रार्थना-पत्र एवं ईन्टर्नशिप स्थान परिर्वतन पत्र आरोपी श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर ने अपने कार्य करने की टेबिल से निकालकर पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री देवेन्द्र सिह द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना 2021 के तहत जारी ईन्टर्नशिप में स्थान एवं विभाग परिवर्तन के संबंध में जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर के नाम लिखा गया प्रार्थना-पत्र है जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर है व दिनांक 26.12.2024 अंकित है एवं जिला कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग धौलपुर का पत्र क्रमांक 2034-2094 दिनांक 10.12.2024 का जारी किया हुआ है जिसके संबंध में आरोपी दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर से पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त पत्र मैने आज रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् पूर्व में तहसील बाडी राजस्व विभाग को परिवर्तित करते हुये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कस्बा नगर बाडी शिक्षा विभाग जारी कर दिया था। जिस पर मैने पुराने डिस्पेच नम्बर ही जारी कर दिये थे, उक्त डिस्पेच नम्बरो से ही मैने देवेन्द्र सिह को तहसील बाडी राजस्व विभाग आवंटन हेतु पत्र जारी किया था उक्त पत्र पर जिला रोजगार अधिकारी के स्कैन किये हुये हस्ताक्षर पत्र पर अंकित कर दिये थे व मेरे द्वारा जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर की मोहर लगाकर मैने स्वंय के हस्ताक्षर किये थे। परिवादी के कार्य से संबंधी रिकॉर्ड ई.ई.एम.एस. पोर्टल से विभाग आवंटन संबंधी प्रिन्ट भी लिया गया। उक्त समस्त दस्तावेज जरिये फर्द जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। लिये गये दस्तावेज/रिकॉर्ड के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती दस्तावेज/रिकॉर्ड नियमानुसार तैयार की जाकर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री दीपक गोयल पुत्र श्री जगदीश गोयल जाति वैष्य उम्र 27 साल निवासी सिकराय बस स्टैण्ड दौसा पुलिस थाना मानपुर दौसा जिला दौसा हाल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री देवेन्द्र सिह को मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना 2021 के तहत जारी हुई इन्टर्नशिप में स्थान परिवर्तन किये जाने एवज मे रिश्वत राशि 1500/-रूपये की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 700/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 27.12.2024 को 700/- -रूपये रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ((यथा संशोधित 2018) का पाये जाने पर आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा दो मोबाईल फोन एक वन प्लस कम्पनी जिसमें जियो कम्पनी की दो सिम है जिनका नम्बर [redacted] [redacted] है मोबाईल स्क्रीन लॉक का पासवर्ड पैटर्न लॉक बायी साईड से एल है जिसका आई एम ई आई नं. 866775065752917 व 86677505752909 है। दूसरा मोबाईल फोन एम आई कम्पनी है जिसमें बीएसएनएल कम्पनी की एक सिम है जिसका नम्बर [redacted] है। दोनों मोबाईल चालू हालात में मिले। जिन्हे आरोपी के कहे अनुसार उनके कार्यालय में पदस्थापित कार्यरत सहकर्मी श्रीमति ममता गुप्ता सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुपुर्द किये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेअनुसार उनके भाई राहुल गोयल को मो. नं.

[redacted]पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 05.20 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशानदेही पर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 5.30 पी.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह व आरोपी श्री दीपक बाबूजी जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन की वार्ता की हैश वैल्यू MDS FILE से निकाली जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.40 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री देवेन्द्र सिह के समक्ष विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर से परिवादी श्री देवेन्द्र सिह व आरोपी श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन रिकॉर्ड वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर में कॉपी किया गया। उक्त वार्ता 05 मिनट 50 सैकण्ड की है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर सिस्टम में टेबिल स्पीकर के माध्यम से सुना जाकर उक्त वार्तालाप का हिन्दी रूपान्तरण अंकन किया गया, उपरोक्त वार्तालाप में जो आवाजें रिकॉर्ड हैं उन आवाजों की परिवादी श्री देवेन्द्र सिह द्वारा पहचान कर रिकॉर्ड आवाज स्वयं की एवं आरोपी दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर की होना बतायी। उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ता की लैपटॉप कम्प्यूटर की सहायता से दो डी.वी.डी. तैयार कर उन पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर (एक मुल्जिम डी.वी.डी.) को अलग कपड़े की थैली में रखवाया जाकर थैली को सील मौहर कर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क B अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। एक डी.वी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। एवं विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड को निकाल कर मैमोरी कार्ड को कबर में रखकर कपडे की थैली में रखा जाकर थैली को सील मोहर कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क M-1 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द नियमानुसार तैयार की जाकर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.10 पी. एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस आरोपी श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक का सेवा विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में कार्यालय जिला रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर से प्राप्त हुआ जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं. 39 को परिवादी व स्वतत्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री सुरेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। तत्पश्चात् 06.30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशीयां, शील्ड पेन्ट पैकिट, शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड, शील्ड शुदा डीवीडी, विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय सरकारी लैपटॉप, प्रिन्टर, टे्रप बॉक्स मुताबिक फर्दात के बाद मय चालक मय वाहनो कार्यवाही एसीबी धौलपुर के लिए रवाना हुआ समय 06.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशीयां शील्ड पेन्ट पैकिट, शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड, शील्ड शुदा डीवीडी विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय, सरकारी लैपटॉप, प्रिन्टर, टे्रप बॉक्स मुताबिक फर्दात मय चालक मय सरकारी वाहनो के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चैकी धौलपुर पहूंचा जहां गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय 07.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने टे्रप कार्यवाही में जप्तशुदा रिश्वती राशि धोवन की शील्ड शीशीयां, शील्ड पेन्ट पैकिट, वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता का शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड, व शील्ड शुदा डीवीडी, टे्रप बॉक्स को सुरक्षित मालखाने में रखवाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री कान्त हैड़ कानि. 72 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 08.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री मनोज कुमार कानि.179 को अलग-अलग तहरीर दी जाकर हिदायत दी कि आरोपी श्री दीपक गोयल कनिष्ठ सहायक का राजकीय चिकित्सालय जिला धौलपुर में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात कराकर एसीबी चौकी धौलपुर आये बाद हिदायत देकर उनको सरकारी वाहन मय चालक के रवाना किया। तत्पश्चात् समय 09.00 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी का राजकीय चिकित्सालय जिला धौलपुर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर एवं पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात करवा कर एसीबी चौकी उपस्थित आये मन् उप अधीक्षक पुलिस को आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आरोपी को बन्द हवालात कराने का रोजनामचाआम की नकल रपट पेश की जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण टे्रप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री दीपक गोयल पुत्र श्री जगदीश गोयल जाति वैश्य उम्र 27 साल निवासी सिकराय बस स्टैण्ड दौसा पुलिस थाना मानपुर दौसा जिला दौसा हाल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र सिह को मुख्यमंत्री युवा संबलं योजना 2021 के तहत जारी हुई इन्टर्नशिप में स्थान परिर्वतन किये जाने एवज मे रिश्वत राशि 1500/- रूपये की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 700/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में

आज दिनांक 27.12.2024 को 700/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। ((सुरेन्द्र सिह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिह,उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री दीपक गोयल पुत्र श्री जगदीश गोयल जाति वैश्य उम्र 27 साल निवासी सिकराय बस स्टैण्ड दौसा पुलिस थाना मानपुर दौसा जिला दौसा हाल कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करोली को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 361 पर अंकित है।(कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1731-34 दिनांक 28-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2-निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/12/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KALU RAM RAWAT
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	30/04/1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)